

सरदुल खां बनाम स्टेट  
प्रकरण संख्या 407/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल में  
जारी हुये

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख  
हुकम

06/2/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। जबाब स्टेट प्राप्त हुआ। वादी साक्ष्य करवाना नहीं चाहते। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम सरदुल खां पुत्र दादखां है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए पोहडका बारानी के प.नं. 57/63 (293) के किला नं. 11 ता 25 की 3.7950 है., प. नं. 57/64 (298) के किला नं. 1 ता 20, 23/1, 24/1, 25/1 की 5.6660 है. कुल 9.4610 है. खातेदारी भूमि में दर्ज सरदुलखां पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर सरदुलखां पुत्र दादखां दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06/2/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं  
सुपरगण्ड अधिकारी  
थयतसर

